रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032021-226037
CG-DL-E-23032021-226037

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 2021/चैत्र 2, 1943
No. 154] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 2021/CHAITRA 2, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2021

सा.का.नि. 203(अ).—केन्द्रीय सरकार, अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** :- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) (संशोधन) आदेश, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 में, खंड 6क के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्: -

"6ख. अनुकूल आटोमोबाइल्स के लिए स्टैंडअलोन ईंधन के तौर पर प्रयोग करने या मोटर स्प्रिट के साथ मिश्रण हेतु जैव एथेनॉल (ई100) की सीधी बिक्री का सीमित प्रयोजन – केन्द्रीय सरकार भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार, अनुकूल आटोमोबाइल्स के लिए स्टैंडअलोन ईंधन के तौर पर प्रयोग या मोटर स्प्रिट के साथ मिश्रण हेतु जैव एथेनॉल (ई100) की किसी तेल कंपनी द्वारा सभी उपभोक्ताओं को सीधी बिक्री करने की अनुमति प्रदान करती है।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजन हेतु, जैव एथेनॉल (ई100) से तात्पर्य "आटोमोटिव प्रयोग के लिए एनहाइड्रस अल्कोहॉल" नाम से "आईएस 15464: 2004" के अधीन बीआईएस द्वारा मान्यताप्राप्त एनहाइड्रस अल्कोहॉल से है।

[फा. सं. पी -11013/1/2015-वित.]

डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: - मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 729(अ) तारीख 19 दिसंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संख्यांक सा.का.नि. 18(अ), तारीख 12 जनवरी, 2007, सा.का.नि. 1(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2008, सा.का.नि. 352(अ), तारीख 6 मई, 2014, सा.का.नि. 621(अ), तारीख 10 अगस्त, 2015, सा.का.नि. 728(अ), तारीख 29 जून, 2017, सा.का.नि. 830(अ), तारीख 8 नवंबर, 2019, सा.का.नि. 903(अ), तारीख 10 दिसंबर, 2019 और सा.का.नि. 78(अ), तारीख 3 फरवरी, 2020 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 22nd March, 2021

G.S.R. 203(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005, namely:-

1. **Short title and commencement:-** (1) This Order may be called the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) (Amendment) Order, 2021.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005, after clause 6A, the following clause shall be inserted, namely:-

"6B. Limited purpose of direct sale of bioethanol (E100) for use as standalone fuel or blending with motor spirit, for compatible automobiles- The Central Government permits the direct sale of bioethanol (E100) by an oil company for use as standalone fuel or blending with motor spirit, for compatible automobiles to all consumers, in accordance with the standards specified by the Bureau of Indian Standards.

Explanation:- For the purposes of this clause, bioethanol (E100) means anhydrous alcohol recognised by BIS under "IS 15464: 2004" under the name "Anhydrous alcohol for automotive use"

[F. No.P-11013/1/2015-Dist.]

Dr. NAVNEET MOHAN KOTHARI, Jt. Secy.

Note:- The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 729(E), dated the 19th December, 2005 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 18(E), dated the 12th January, 2007, G.S.R. 1(E), dated the 31st December, 2008, G.S.R. 352(E), dated the 6th May, 2014, G.S.R. 621(E), dated the 10th August, 2015, G.S.R. 728(E), dated the 29th June, 2017, G.S.R. 830(E), dated the 8th November, 2019, G.S.R. 903(E), dated the 10th December, 2019 and G.S.R. 78(E), dated the 3rd February, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.03.23 15:38:46 +05'30'